संख्याः- 37 / 68-5-2019

प्रेषक

डा0 प्रभात कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
समस्त जनपद, उ0प्र0।

बेसिक शिक्षा अनुभाग-5 लखनऊः दिनांकः 24 जनवरी, 2019

विषयः शैक्षिक सत्र 2019-20 में आउट ऑफ स्कूल बच्चों के चिन्हीकरण, पंजीकरण एवं नामांकन हेतु कार्यक्रम 'शारदा' (SHARDA-स्कूल हर दिन आयें) संचालित करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 के अन्तर्गत 06-14 आयु वर्ग के समस्त बालक-बालिकाओं को निःशुल्क प्रारम्भिक शिक्षा उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है। अग्रेत्तर अधिनियम के अन्तर्गत यह भी अपेक्षा की गयी है कि 06-14 आयु वर्ग के ऐसे बच्चे जिन्हें किसी विद्यालय में नामांकित नहीं किया गया है अथवा नामांकन के उपरान्त वे अपनी प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण नहीं कर सके हैं उनका चिन्हीकरण करते हुए उनका नामांकन आयुसंगत कक्षा में कराया जाय और अन्य विद्यार्थियों के समकक्ष लाने हेतु उन बच्चों को विशेष प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की जाये।

अधिनियम के उक्त प्रावधान को प्रभावी रूप में क्रियान्वित करने हेतु विचारोपरान्त शासन द्वारा जिलाधिकारी के निर्देशन में कार्यक्रम – **'शारदा' (SHARDA-स्कूल हर दिन आयें)** संचालित करने का निर्णय लिया गया हैं। इस संबंध में आपको निम्नवत् निर्देश दिये जाते हैं:-

1. लक्षित समूह :-

'शारदा' (SHARDA-स्कूल हर दिन आयें) के अन्तर्गत जनपद में 6-14 आयुवर्ग के समस्त आउट ऑफ स्कूल बच्चे लक्षित समूह हैं। आउट ऑफ स्कूल बच्चे 02 श्रेणी के हो सकते हैं :-

(1) ऐसे बच्चे जिनका विद्यालय में कभी भी नामांकन नहीं किया गया हो।

(2) ऐसे बच्चे जिनका विद्यालय में पूर्व में नामांकन हुआ था किन्तु किन्हीं कारणवश अपनी शिक्षा पूरी किये बिना विद्यालय छोड़ गये अर्थात् ड्राप आउट हो गये।

ड्राप आउट बच्चों के चिन्हीकरण की प्रक्रिया को सुस्पष्ट करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा आउट आफ स्कूल बच्चों को निम्नवत् परिभाषित किया गया है :-

''06 से 14 वर्ष की आयु का कोई बालक बिना विद्यालय का माना जायेगा, यदि वह किसी प्रारम्भिक विद्यालय में कभी नामांकित न किया गया हो/की गयी हो अथवा यदि नामांकन के पश्चात् अनुपस्थित होने के कारणों की पूर्व सूचना के बिना विद्यालय से निरन्तर 45 दिन या उससे अधिक अवधि में अनुपस्थित रहा/रही हो।''

2. आउट ऑफ स्कूल बच्चों का पंजीकरण एवं मूल्यांकन (एसेसमेन्ट) :–

(1) प्रधानाध्यापक द्वारा विद्यालय से सेवित बस्तियों (कैचमेंट एरिया) में 6–14 आयु वर्ग के सभी आउट ऑफ स्कूल बच्चों का पंजीकरण **अनिवार्यतः** किया जायेगा। प्रधानाध्यापक द्वारा ऐसे बच्चों का नाम, माता–पिता का नाम, जन्मतिथि आदि का विवरण रखा जायेगा। पंजीकरण हेतु प्रारूप संलग्न है। **(संलग्नक–1)**

(2) बच्चों के पंजीकरण एवं नामांकन का कार्य दो चरण में किया जायेगा–

(अ) **प्रथम चरण** में बच्चों का **पंजीकरण** दिनांक 01.02.2019 से 30.03.2019 तक किया जाये तथा इन सभी बच्चों का विद्यालय में **प्रवेश** दिनांक 01.04.2019 से प्रारम्भ कर 20.04.2019 तक पूर्ण किया जाये।

(ब) **द्वितीय चरण** में बच्चों का **पंजीकरण** दिनांक 21.05.2019 से 30.06.2019 तक किया जाये तथा इन सभी बच्चों का विद्यालय में **प्रवेश** दिनांक 01.07.2019 से प्रारम्भ कर 20.07.2019 तक पूर्ण किया जाये।

(3) विद्यालय में नव नामांकित समस्त आउट ऑफ स्कूल बच्चों का मूल्यांकन (एसेसमेन्ट) प्रधानाध्यापक / कक्षा अध्यापक द्वारा प्रथम चरण हेतु दिनांक 21.04.2019 से 30.04.2019 की अवधि में तथा द्वितीय चरण हेतु दिनांक 21.07.2019 से 31.07.2019 की अवधि में किया जाये और उनके ज्ञान के स्तर का निर्धारण कर लिया जाये ताकि उन्हें सुसंगत कक्षा हेतु विशेष प्रशिक्षण (ब्रिजकोर्स) की व्यवस्था की जा सके। यह कार्यक्रम प्रतिवर्ष चलेगा

3. नामांकन का लक्ष्य एवं रणनीति :–

(1) जनपदों की जनसंख्या एवं शैक्षिक सत्र 2018–19 में नामांकन की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए शैक्षिक सत्र 2019–20 हेतु वर्तमान नामांकन में 15% की वृद्धि का लक्ष्य एवं कुल नामांकन का लक्ष्य निर्धारण किया गया है जिसका जनपदवार विवरण संलग्न है। **(संलग्नक–2)**

(2) 06–14 आयु वर्ग के आउट ऑफ स्कूल बच्चों का चिन्हीकरण विद्यालय के प्रधानाध्यापकों / अध्यापकों / शिक्षामित्रों / अनुदेशकों द्वारा हाउस होल्ड सर्वे के माध्यम से दो चरण में किया जायेगा।

- **प्रथम चरण** में सर्वे दिनांक 01.02.2019 से 30.03.2019 की अवधि में किया जाये।
- **द्वितीय चरण** में सर्वे दिनॉक 21.05.2019 से 30.06.2019 की अवधि में सम्पन्न किया जाये।

सर्वे हेतु उक्त अवधि एक अभियान के रूप में कार्य करने के लिए निर्धारित की गयी है। यदि सर्व में कतिपय बस्तियॉ अथवा घर आच्छादित नहीं हो सके हैं तो सर्वे का कार्य उक्त निर्धारित अवधि के बाद भी जारी रखा जाये ताकि सभी आउट आफ स्कूल बच्चों को चिहिन्त करते हुए उनका पंजीकरण सुनिश्चित हो सके।

आउट ऑफ स्कूल बच्चों के चिन्हीकरण हेतु किये जाने वाले सर्वे का प्रपत्र संलग्न है। **(संलग्नक–3)** एवं **(संलग्नक–3 ए)**

(3) प्रधानाध्यापक द्वारा विद्यालय से सेवित बस्तियों (कैचमेन्ट एरिया) के घरों का आवंटन स्वयं को सम्मिलित करते हुए विद्यालय के समस्त स्टाफ के मध्य इस प्रकार किया जाये कि सर्वे में सभी बस्तियाँ / घर आच्छादित हो जायें।

(4) विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों का चिन्हीकरण भी हाउस होल्ड सर्वे के साथ किया जाये ताकि ऐसे विशिष्ट आवश्यकताओं वाले बच्चों के नामांकन एवं शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा सके। इस सम्बन्ध में यूनीसेफ एवं आर0बी0एस0के0 के सहयोग से दिव्यांगतावार चेक लिस्ट तैयार की गयी है, जिसके आधार पर अध्यापकों द्वारा हाउस होल्ड सर्वे के दौरान ही इन बच्चों का भी चिन्हीकरण किया जाये। दिव्यांगतावार चेक लिस्ट संलग्न है। **(संलग्नक–4)** इन बच्चों के नामांकन हेतु इटिनरेन्ट टीचर्स/रिसोर्स टीचर्स/जिला समन्वयक को दायित्व दिया जाये।

(5) प्रदेश के विभिन्न जनपदों में स्थापित कारखानों, फैक्टरी, खादान आदि में कार्यरत बंधुआ मजदूरों एवं बालश्रमिकों की पहचान श्रम विभाग द्वारा की जाती है। ऐसे बालश्रमिक बच्चे जो आउट ऑफ स्कूल हैं उनसे सम्बन्धित सूचना उपश्रमायुक्त/सहायक श्रमायुक्त द्वारा सम्बन्धित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को पता/विवरण सहित उपलब्ध करायी जाय ताकि इनका नामांकन कराया जा सके।

(6) विद्यालय परिसर में संचालित आंगनवाड़ी में अध्ययनरत ऐसे बच्चे जिनकी आयु दिनांक 01 अप्रैल, 2019 को लगभग 6 वर्ष हो, उन्हें प्रधानाध्यापक द्वारा कक्षा–1 में अनिवार्यतः प्रवेश कराया जायेगा।

(7) बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग द्वारा सर्वे के माध्यम से ऐसी किशोरी बालिकाओं का चिन्हीकरण किया गया है, जो वर्तमान में विद्यालयों में नामांकित नहीं है। जिला कार्यक्रम अधिकारी, बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग द्वारा अपने जनपद से सम्बन्धित 06–14 आयु वर्ग की बालिकाओं की पता सहित सूची जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध करायी जाये तथा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा इन बालिकाओं का नामांकन कराया जाये।

(8) अमान्य विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण कर रहे बच्चों को प्रोत्साहित कर परिषदीय विद्यालयों में नामांकन कराया जाये। अमान्य विद्यालयों के संबंध में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जाये।

(9) विद्यालयों में नामांकन बढ़ाने हेतु ग्राम प्रधान, विद्यालय प्रबन्ध समिति, माँ समूह एवं स्थानीय राय निर्माताओं (ओपिनियन बिल्डर्स) का सहयोग प्राप्त किया जाये।

(10) यदि विद्यालय में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं के भाई/बहन किसी विद्यालय में नामांकित नहीं है अर्थात आउट आफ स्कूल हैं तो शिक्षामित्र/अनुदेशक/अध्यापक/प्रधानाध्यापक द्वारा उनके माता–पिता से सम्पर्क कर इन बच्चों का नामांकन प्रत्येक दशा में विद्यालय में कराया जायेगा।

4. अनुश्रवण एवं रिपोर्टिंग :–

(1) आउट ऑफ स्कूल बच्चों के चिन्हीकरण एवं नामांकन के अनुश्रवण हेतु यूनिसेफ के सहयोग से सर्व शिक्षा अभियान द्वारा पोर्टल का निर्माण कराया जायेगा जिसके प्रयोग के बारे में जनपदों को यथाशीघ्र अवगत कराया जायेगा।

(2) प्रत्येक विकास खण्ड में ब्लाक संसाधन केन्द्र स्थापित तथा क्रियाशील है, जिनमें कम्प्यूटर एवम् इन्टरनेट की सुविधा उपलब्ध है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी का यह दायित्व होगा कि बस्तीवार आउट ऑफ स्कूल बच्चों का नामवार विवरण एवं नामांकन की प्रगति प्रतिदिन पोर्टल पर अपलोड करायेंगे जिसका नियमित अनुश्रवण निदेशक, बेसिक शिक्षा द्वारा किया जायेगा।

(3) जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा उक्त के अतिरिक्त साप्ताहिक प्रगति निदेशक, बेसिक शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान को माह की 7, 14, 21 एवं 28 तारीख तक अनिवार्यतः ई–मेल से उपलब्ध करायी जायेगी।

(4) निदेशक, बेसिक शिक्षा द्वारा जनपदवार नामांकन की पाक्षिक प्रगति अपर मुख्य सचिव, बेसिक शिक्षा उ0प्र0 शासन को माह की 16 एवं 01 तारीख को प्रेषित की जायेगी।

5. नव नामांकित बच्चों का विशेष प्रशिक्षण :—

(1) विद्यालयों में नव नामांकित आउट ऑफ स्कूल बच्चों को आयुसंगत कक्षा के स्तर तक का ज्ञान उपलब्ध कराने हेतु विशेष प्रशिक्षण दिये जाने की व्यवस्था है। इसके अन्तर्गत अध्यापकों का प्रशिक्षण कराया जाता है, सेवानिवृत्त अध्यापकों की सेवाएं ली जाती है, बच्चों के लिए अधिगम सामग्री उपलब्ध करायी जाती है तथा बच्चों को संघनित पाठ्य पुस्तकें (कंडेंस्ड टेक्सट बुक्स), आदि उपलब्ध करायी जाती हैं। विद्यालय में नामांकन के उपरान्त इन बच्चों को 06 माह का विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है, जो माह मार्च में पूर्ण होता है।

(2) विद्यालय में नामांकित सभी आउट ऑफ स्कूल बच्चों के लिए उनके उपलब्धि स्तर के अनुसार अनिवार्यतः विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी। इस हेतु राज्य परियोजना निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान के निर्देशों के अनुसार विशेष प्रशिक्षण का संचालन किया जाये।

(3) विशेष प्रशिक्षण की समाप्ति के उपरान्त प्रधानाध्यापक/कक्षा अध्यापक द्वारा इन बच्चों का पुनः मूल्यांकन (एसेसमेंट) किया जाये और 01 अप्रैल से प्रारम्भ होने वाले नवीन शैक्षिक सत्र में इन बच्चों को आयुसंगत कक्षा की मुख्य धारा में सम्मिलित किया जाये।

(4) विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था हेतु विद्यालय के प्रधानाध्यापक तथा विद्यालय प्रबन्ध समिति के अध्यक्ष उत्तरदायी होंगे। विकास खण्ड स्तर पर खण्ड शिक्षा अधिकारी तथा जनपद स्तर पर जिला समन्वयक (विशेष प्रशिक्षण एवं सामुदायिक सहभागिता) एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी इस कार्य हेतु उत्तरदायी होंगे।

6. उपस्थिति एवं ठहराव :—

(1) आउट ऑफ स्कूल बच्चों की शिक्षा एक अत्यन्त ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। यदि इन बच्चों की नियमित उपस्थिति एवं उनकी शिक्षण–अधिगम व्यवस्था पर समुचित ध्यान नहीं दिया जायेगा तो इन बच्चों के पुनः ड्राप आउट होने की प्रबल सम्भावना बनी रहेगी। अतएव, इन बच्चों की उपस्थिति का अनुश्रवण विशेष प्रशिक्षण हेतु नामित शिक्षक एवं प्रधानाध्यापक द्वारा नियमित रूप से किया जाये।

(2) यदि बच्चा लगातार एक सप्ताह तक अनुपस्थित रहता है तो सम्बन्धित शिक्षक द्वारा बच्चे के माता–पिता से व्यक्तिगत सम्पर्क किया जाय और बच्चों को नियमित रूप से विद्यालय भेजने हेतु प्रेरित किया जाये।

(3) इसके उपरान्त भी यदि बच्चा अनुपस्थित रहता है तो विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा व्यक्तिगत प्रयास किया जाय। इसके उपरान्त भी यदि बच्चा उपस्थित नहीं होता है तो खण्ड शिक्षा अधिकारी को रिपोर्ट भेजी जाये जो अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही करेंगे।

(4) विद्यालय प्रबन्ध समिति की मासिक बैठक में विशेष प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे बच्चों की उपस्थिति पर विचार–विमर्श विशेष रूप से किया जाय और अनियमित रूप से उपस्थित रहने वाले बच्चों को, नियमित रूप से विद्यालय भेजने हेतु विद्यालय प्रबन्ध समिति का सहयोग लिया जाय। इस सम्बन्ध में विद्यालय प्रबन्ध समिति की बैठक की कार्यवाही रजिस्टर में अनिवार्य रूप से दर्ज भी की जाय।

(5) छात्र–छात्राओं की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु विद्यालयों में अभिभावक–अध्यापक एसोसिएशन (पी0टी0ए0) गठित की जायें और बैठकें आयोजित की जायें जिनमें

विद्यालय के अध्यापक द्वारा छात्र–छात्राओं के अभिभावकों से बच्चे की उपस्थिति एवं उपलब्धि (अधिगम) स्तर के सम्बन्ध में विचार–विमर्श किया जाये। एसोसिएशन की बैठक त्रैमासिक रखी जाये, जो माह अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर एवं जनवरी के द्वितीय सोमवार को निर्धारित होगी।

(6) विद्यालय में नियमित रूप से उपस्थित हो रहे बच्चों को अध्यापक/प्रधानाध्यापक द्वारा प्रोत्साहित किया जाय ताकि अन्य बच्चों को प्रेरणा मिल सके। प्रधानाध्यापक/अध्यापक द्वारा इन बच्चों को विद्यालय में पुस्तकालय एवं खेल–कूद सुविधाओं का लाभ प्राप्त करने के पर्याप्त अवसर दिये जायें। खेल–कूद हेतु आवश्यक उपकरण/सामग्री की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये तथा इस हेतु एक अध्यापक को प्रभारी नामित किया जाये।

7. अनुश्रवण में सुविधा हेतु कार्यक्रम का फ्लो–चार्ट निम्नवत् है:–

कार्यक्रम का फ्लो–चार्ट

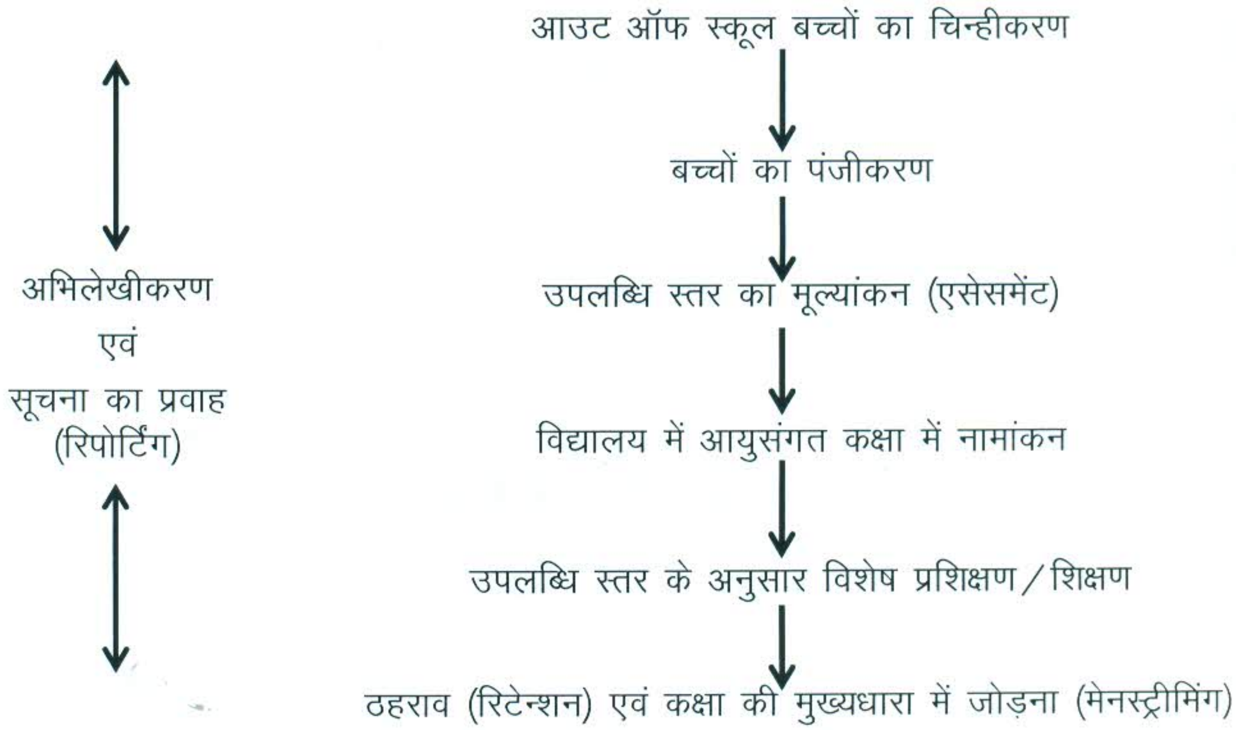

8. प्रोत्साहन/पुरस्कार :–

(1) उल्लेखनीय है कि आउट ऑफ स्कूल बच्चों की स्थिति एक शैक्षिक समस्या है, जिसके लिए कोई शिक्षक व्यक्तिगत रूप से दोषी नहीं है। अतः, सर्वे के दौरान प्रधानाध्यापक एवं अध्यापक द्वारा पूर्ण मनोयोग से समस्त आउट ऑफ स्कूल बच्चों को चिन्हित किया जाय और नामांकन कराया जाये।

(2) जिन विद्यालयों में सर्वे में चिन्हित सभी आउट ऑफ स्कूल बच्चों का शत–प्रतिशत नामांकन करते हुए वर्ष 2018–19 के नामांकन के सापेक्ष न्यूनतम 15% की वृद्धि सुनिश्चित की जायेगी उनमें से **प्रत्येक विकासखण्ड के एक सर्वश्रेष्ठ प्रधानाध्यापक** को पुरस्कार दिया जायेगा।

(3) जिन विकासखण्डों में समस्त आउट ऑफ स्कूल बच्चों का नामांकन कराते हुए 2018–19 के नामांकन के सापेक्ष न्यूनतम 15% की वृद्धि सुनिश्चित की जायेगी, उनमें से **प्रत्येक जनपद के एक सर्वश्रेष्ठ खण्ड शिक्षा अधिकारी** को पुरस्कार दिया जायेगा।

(4) प्रदेश स्तर पर समग्र रूप में सभी आउट ऑफ स्कूल बच्चों का नामांकन कराने एवं वर्ष 2018–19 के नामांकन के सापेक्ष न्यूनतम 15% वृद्धि सुनिश्चित करने वाले **प्रत्येक मण्डल से एक सर्वश्रेष्ठ जनपद** को चिन्हित किया जायेगा और उन जनपदों के **जिलाधिकारी एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी** को पुरस्कार दिया जायेगा।

9– विद्यालय में बच्चों का नामांकन कार्यक्रम शिक्षकों का आधारभूत क्रियाकलाप है, जिसके बिना उनके शैक्षिक दायित्वों का निर्वहन नहीं हो सकता है। कार्यक्रम के अन्तर्गत बच्चों के चिन्हीकरण एवं पंजीकरण हेतु कोई नियत समय इंगित नहीं किया गया है। शिक्षक स्वेच्छा से बच्चों के चिन्हीकरण एवं पंजीकरण का कार्य किसी भी दिन तथा किसी भी समय कर सकते हैं। वस्तुतः यह कार्य शैक्षिक सत्र के पूर्व तैयारी किये जाने से संबंधित है, अतः शिक्षकों द्वारा इसे अतिरिक्त ड्यूटी नहीं माना जा सकता है और इसके बदले में उन्हें कोई अवकाश आदि देय नहीं होगा।

आपसे अनुरोध है कि उक्त विषय को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करते हुए आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

संलग्नकःउक्तवत्।

भवदीय,

(डॉ0 प्रभात कुमार)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. मण्डलायुक्त, समस्त मण्डल, उ0प्र0।
2. श्रम आयुक्त, जी0टी0 रोड़, कानपुर नगर, उ0प्र0।
3. शिक्षा निदेशक, (बेसिक), उ0प्र0 बेसिक शिक्षा निदेशालय, लखनऊ।
4. राज्य परियोजना निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान, उ0प्र0, लखनऊ।
5. निदेशक, बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग, उ0प्र0।
6. निदेशक, साक्षरता, उर्दू एवं प्राच्य भाषा, लखनऊ।
7. निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, उ0प्र0 लखनऊ।
8. निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, उ0प्र0।
9. सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0, इलाहाबाद।
10. शिक्षा विशेषज्ञ, यूनीसेफ, लखनऊ, उ0प्र0
11. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), समस्त मण्डल उ0प्र0।
12. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, समस्त जनपद, उ0प्र0।
13. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, समस्त जनपद, उ0प्र0।
14. खण्ड शिक्षा अधिकारी, समस्त विकास खण्ड, उ0प्र0।

आज्ञा से

(उमेश कुमार तिवारी)
अनु सचिव।

संलग्नक–1

विद्यालय में प्रवेश हेतु पंजीकरण फार्म

विवरण:

बालक/बालिका का नवीनतम फोटो

1. विद्यालय का नाम
2. विकास खण्ड का नाम
3. जनपद का नाम
4. बालक/बालिका का नाम
5. माता–पिता/अभिभावक का नाम व पता
6. बालक/बालिका की जन्म तिथि
7. दिनांक 1 अप्रैल, 2019 को आयु
8. बालक/बालिका के आधार कार्ड की संख्या (छायाप्रति सहित)
9. यदि बालक/बालिका का आधार कार्ड नहीं बना है तो माता अथवा पिता के आधार कार्ड की संख्या (छायाप्रति सहित)
10. बालक/बालिका के भाई/बहन के सम्बन्ध में विवरण:–

भाई का नाम	01.04.2019 को आयु	वर्तमान में किस कक्षा में नामांकन है	विद्यालय का नाम	यदि किसी विद्यालय में नामांकित नहीं है तो कारण

बहन का नाम	01.04.2019 को आयु	वर्तमान में किस कक्षा में नामांकन है	विद्यालय का नाम	यदि किसी विद्यालय में नामांकित नहीं है तो कारण

तिथि:

पंजीकरणकर्ता का नाम एवं हस्ताक्षर

(प्रधानाध्यापक/अध्यापक/शिक्षा मित्र/अनुदेशक)

प्रति हस्ताक्षर

प्रधानाध्यापक का नाम एवं हस्ताक्षर

संलग्नक–2

शैक्षिक सत्र 2018–19 में परिषदीय विद्यालयों में नामांकन की स्थिति एवं शैक्षिक सत्र 2019–20 हेतु नामांकन में वृद्धि तथा कुल नामांकन का लक्ष्य

क्रम सं0	जनपद का नाम	शैक्षिक सत्र 2018-19			शैक्षिक सत्र 2019-20 में नामांकन में वृद्धि का लक्ष्य			शैक्षिक सत्र 2019–20 हेतु कुल नामांकन का लक्ष्य		
		नामांकन (कक्षा 1 से 5 तक)	नामांकन (कक्षा 6 से 8 तक)	कुल नामांकन (कक्षा 1 से 8 तक)	कक्षा 1 से 5 तक नामांकन में वृद्धि	कक्षा 6 से 8 तक नामांकन में वृद्धि	कक्षा 1 से 8 तक नामांकन में कुल वृद्धि	कक्षा 1–5 (Col 3+Col 6)	कक्षा 6–8 (Col 4+Col 7)	कक्षा 1–8 (Col 5+Col 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	आगरा	182724	55484	238208	27409	8323	35731	210133	63807	273939
2	अलीगढ़	167372	50678	218050	25106	7602	32708	192478	58280	250758
3	अम्बेडकर नगर	133745	42914	176659	20062	6437	26499	153807	49351	203158
4	अमेठी	123086	38665	161751	18463	5800	24263	141549	44465	186014
5	अमरोहा	85546	25287	110833	12832	3793	16625	98378	29080	127458
6	औरैया	79575	27003	106578	11936	4050	15987	91511	31053	122565
7	आजमगढ	264750	92791	357541	39713	13919	53631	304463	106710	411172
8	बागपत	55607	13610	69217	8341	2042	10383	63948	15652	79600
9	बहराइच	351225	110678	461903	52684	16602	69285	403909	127280	531188
10	बलिया	224340	64675	289015	33651	9701	43352	257991	74376	332367
11	बलरामपुर	175368	41079	216447	26305	6162	32467	201673	47241	248914
12	बॉदा	153234	70871	224105	22985	10631	33616	176219	81502	257721
13	बाराबंकी	243318	94398	337716	36498	14160	50657	279816	108558	388373
14	बरेली	246352	75475	321827	36953	11321	48274	283305	86796	370101
15	बस्ती	152350	43834	196184	22853	6575	29428	175203	50409	225612
16	भदोही	105136	38581	143717	15770	5787	21558	120906	44368	165275
17	बिजनौर	131215	48389	179604	19682	7258	26941	150897	55647	206545
18	बदायूँ	246869	73903	320772	37030	11085	48116	283899	84988	368888
19	बुलन्दशहर	172348	47367	219715	25852	7105	32957	198200	54472	252672
20	चन्दौली	152111	60496	212607	22817	9074	31891	174928	69570	244498
21	चित्रकूट	96040	42566	138606	14406	6385	20791	110446	48951	159397
22	देवरिया	175765	53974	229739	26365	8096	34461	202130	62070	264200
23	एटा	115046	30325	145371	17257	4549	21806	132303	34874	167177
24	इटावा	81530	28571	110101	12230	4286	16515	93760	32857	126616
25	फैजाबाद	143337	47596	190933	21501	7139	28640	164838	54735	219573
26	फर्रूखाबाद	124588	42107	166695	18688	6316	25004	143276	48423	191699
27	फतेहपुर	175578	53820	229398	26337	8073	34410	201915	61893	263808
28	फिरोजाबाद	119128	38722	157850	17869	5808	23678	136997	44530	181528
29	गौतमबुद्ध नगर	66272	17334	83606	9941	2600	12541	76213	19934	96147
30	गाजियाबाद	70384	20070	90454	10558	3011	13568	80942	23081	104022
31	गाजीपुर	212355	64862	277217	31853	9729	41583	244208	74591	318800
32	गोण्डा	259423	73629	333052	38913	11044	49958	298336	84673	383010
33	गोरखपुर	232126	67050	299176	34819	10058	44876	266945	77108	344052
34	हमीरपुर	73248	31349	104597	10987	4702	15690	84235	36051	120287
35	हापुड़	46359	13706	60065	6954	2056	9010	53313	15762	69075
36	हरदोई	345836	125593	471429	51875	18839	70714	397711	144432	542143
37	हाथरस	86970	31338	118308	13046	4701	17746	100016	36039	136054
38	जालौन	91942	34352	126294	13791	5153	18944	105733	39505	145238
39	जौनपुर	295133	90350	385483	44270	13553	57822	339403	103903	443305
40	झाँसी	96388	43596	139984	14458	6539	20998	110846	50135	160982
41	कन्नौज	104089	30978	135067	15613	4647	20260	119702	35625	155327
42	कानपुर देहात	105232	38753	143985	15785	5813	21598	121017	44566	165583
43	कानपुर नगर	110124	37671	147795	16519	5651	22169	126643	43322	169964
44	कासगंज	109223	28767	137990	16383	4315	20699	125606	33082	158689

शैक्षिक सत्र 2018–19 में परिषदीय विद्यालयों में नामांकन की स्थिति एवं शैक्षिक सत्र 2019–20 हेतु नामांकन में वृद्वि तथा कुल नामांकन का लक्ष्य

क्रम सं0	जनपद का नाम	शैक्षिक सत्र 2018-19			शैक्षिक सत्र 2019-20 में नामांकन में वृद्वि का लक्ष्य			शैक्षिक सत्र 2019–20 हेतु कुल नामांकन का लक्ष्य		
		नामांकन (कक्षा 1 से 5 तक)	नामांकन (कक्षा 6 से 8 तक)	कुल नामांकन (कक्षा 1 से 8 तक)	कक्षा 1 से 5 तक नामांकन में वृद्वि	कक्षा 6 से 8 तक नामांकन में वृद्वि	कक्षा 1 से 8 तक नामांकन में कुल वृद्वि	कक्षा 1–5 (Col 3+Col 6)	कक्षा 6–8 (Col 4+Col 7)	कक्षा 1–8 (Col 5+Col 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	कौशाम्बी	123182	32275	155457	18477	4841	23319	141659	37116	178776
46	कुशीनगर	232054	56526	288580	34808	8479	43287	266862	65005	331867
47	लखीमपुर खीरी	370614	149049	519663	55592	22357	77949	426206	171406	597612
48	ललितपुर	113164	58952	172116	16975	8843	25817	130139	67795	197933
49	लखनऊ	130716	48964	179680	19607	7345	26952	150323	56309	206632
50	महोबा	67261	29882	97143	10089	4482	14571	77350	34364	111714
51	महाराजगंज	175415	46251	221666	26312	6938	33250	201727	53189	254916
52	मैनपुरी	104506	34316	138822	15676	5147	20823	120182	39463	159645
53	मथुरा	104546	31568	136114	15682	4735	20417	120228	36303	156531
54	मऊ	112223	34571	146794	16833	5186	22019	129056	39757	168813
55	मेरठ	94343	27240	121583	14151	4086	18237	108494	31326	139820
56	मिर्जापुर	199544	73856	273400	29932	11078	41010	229476	84934	314410
57	मुरादाबाद	125560	38172	163732	18834	5726	24560	144394	43898	188292
58	मुजफ्फरनगर	111656	31485	143141	16748	4723	21471	128404	36208	164612
59	पीलीभीत	128716	55871	184587	19307	8381	27688	148023	64252	212275
60	प्रतापगढ़	176727	57876	234603	26509	8681	35190	203236	66557	269793
61	प्रयागराज	319165	94941	414106	47875	14241	62116	367040	109182	476222
62	रायबरेली	180937	67507	248444	27141	10126	37267	208078	77633	285711
63	रामपुर	121775	36921	158696	18266	5538	23804	140041	42459	182500
64	सहारनपुर	134413	44973	179386	20162	6746	26908	154575	51719	206294
65	सम्भल	159131	54602	213733	23870	8190	32060	183001	62792	245793
66	सन्तकबीर नगर	102058	31788	133846	15309	4768	20077	117367	36556	153923
67	शाहजहाँपुर	254981	96831	351812	38247	14525	52772	293228	111356	404584
68	शामली	58539	15235	73774	8781	2285	11066	67320	17520	84840
69	श्रावस्ती	107039	31186	138225	16056	4678	20734	123095	35864	158959
70	सिद्वार्थनगर	230216	60718	290934	34532	9108	43640	264748	69826	334574
71	सीतापुर	370894	118364	489258	55634	17755	73389	426528	136119	562647
72	सोनभद्र	183340	78725	262065	27501	11809	39310	210841	90534	301375
73	सुल्तानपुर	172666	62426	235092	25900	9364	35264	198566	71790	270356
74	उन्नाव	186563	68147	254710	27984	10222	38207	214547	78369	292917
75	वाराणसी	138868	45778	184646	20830	6867	27697	159698	52645	212343
महायोग		11873199	3918253	15791452	1780980	587738	2368718	13654179	4505991	18160170

संलग्नक – 3

आउट ऑफ स्कूल बच्चों के चिन्हीकरण हेतु सर्वेक्षण प्रपत्र

वर्ष 2019–20 आयु वर्ग:– 6–14 वर्ष

जनपद का नाम............... विकास खण्ड/जोन क्षेत्र का नाम............... ग्राम पंचायत/वार्ड का नाम................

न्याय पंचायत का नाम.................. बस्ती/मजरे का नाम.........................

क्र.सं	पिता का नाम	पता मकान नम्बर सहित	बच्चे का नाम	समाजिक वर्ग (सामान्य/ अनु0जा0/ अ0ज0जा0/ अन्य पि0वर्ग/	बालक/ बालिका	आयु (1 अप्रैल 2019 को)	यदि बच्चा दिव्यांग है तो दिव्यांगता का प्रकार (कोड भरें)	क्या बच्चा कभी भी विद्यालय में नामांकित नहीं हुआ? (never enrolled) (हाँ/नहीं)	यदि पूर्व में विद्यालय में नामांकन हुआ है तो पूर्ण की हुई अधिकतम कक्षा (drop out)	यदि वर्तमान में विद्यालय में नामांकन है तो क्या बच्चा 45 दिनों से निरन्तर अनुपस्थित है (drop out) (हाँ/नहीं)	विद्यालय न जाने का कारण (कोड भरें)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											

नोट: दिव्यांगता के प्रकार एवं विद्यालय न जाने के कारणों हेतु कोड सख्या अंकित करें। कोड स0 के लिए सलग्नक–1 ए का संदर्भ लें।

सर्वेकर्ता का हस्ताक्षर
नाम व पदनाम
विद्यालय का नाम

नाम व हस्ताक्षर
प्रधानाध्यापक

आउट ऑफ स्कूल बच्चों के सर्वेक्षण हेतु कोड का विवरण

संलग्नक 3 ए

दिव्यांगता के प्रकार	
कोड	प्रकार
1	शारीरिक / चलन दिव्यांगता (Physical Disabilities)
2	श्रवण दिव्यांगता (Hearing Impairment)
3	वाणी दिव्यांगता (Speech Impairment)
4	दृष्टि दिव्यांगता (Visual Impairment)
5	बौद्धिक दिव्यांगता (Intellectual Disabilities)
6	मानसिक रूगण्ता (Mental Illness)

विद्यालय न जाने के कारणों में निम्नलिखित का उल्लेख करें:–	
कोड	कारण
1	अपने घर के कार्यो में लगा रहना
2	कचरा बीनना / स्टेशन / बस स्टेशन आदि पर
3	घरेलू नौकर
4	ईंट भट्टों व खदानों में काम करना
5	गैराज / फैक्टरी में काम करना
6	कृषि व्यवसाय
7	पुश्तैनी दस्तकारी
8	छोटे होटलो / ढाबो में काम करना
9	भाई बहनों की देख भाल करना
10	विद्यालय दूर होने का कारण
11	कक्षा–कक्ष में छात्र संख्या अधिक होना
12	शिक्षक का व्यवहार अनुचित होना
13	पढाई में कठिनाई के कारण
14	बालविवाह
15	परिवार घूमन्तू होने के कारण
16	गरीबी के कारण
17	गम्भीर विकलांगता
18	अन्य

संलग्नक–4

नं0	विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की जाँच सूची (Check List of Children's with Special Need)	हाँ = 1, नही = 0
1	**शारीरिक/चलन दिव्यांगता (Physical Disabilities)**	
A	क्या बच्चा झटके से या त्वरित गति से चलता है? या हाथ, पैरों व चेहरे की मासपेशियों की गति को नियंत्रित नही कर पाता है?	
B	क्या बच्चे के शरीर के किसी अंग की तुलना में कोई अन्य अंग छोटा या पतला है?	
C	क्या बच्चा एक पैर से चलता है तथा शरीर असंतुलित रहता है, लड़खड़ाकर चलता है?	
D	क्या बच्चे के शरीर का कोई अंग नही है या अंग कियाशील नहीं है?	
E	क्या बच्चे की कोई मांसपेशी अति कठोर या कमजोर है?	
F	क्या चलते समय बच्चे के पैर का पंजा एकदम नीचे की ओर गिर जाता है?	
G	क्या बच्चे की रीढ़ की हडडी असामान्य है?	
2	**श्रवण दिव्यांगता (Hearing Impairment)**	
A	क्या बच्चा इशारों से संप्रेषण करता है?	
B	क्या बच्चा बातचीत सुनने के लिए कान आगे करता है या सामान्य दूरी से पूछे गये प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाता है?	
C	क्या बच्चा बहुत तेज या धीमी आवाज में बात करता है?	
D	क्या बच्चा वार्तालाप के समय वक्ता के चेहरे पर पूर्णतः निर्भर रहता है?	
3	**वाणी दिव्यांगता (Speech Impairment)**	
A	क्या बच्चे द्वारा बोली गयी वाणी आप आसानी से नही समझ पाते है?	
B	क्या बच्चे के होंठ या तालू में कोई असामान्यता है?	
C	क्या बच्चा अशुद्ध उच्चारण करता है या उच्चारण को समझने में दिक्कत आती है?	
D	क्या बच्चा तुतलाकर या हकलाकर बातचीत करता है?	
4	**दृष्टि दिव्यांगता (Visual Impairment)**	
A	क्या बच्चा छोटी बस्तुओं को सफलतापूर्वक नही पकड. या देख पाता है?	
B	क्या बच्चा सामान्य दूरी पर लिखित सामग्री को अन्य बच्चों की तरह नही पढ़ पाता है?	
C	क्या बच्चे की आँखें/पलकें लाल रहती हैं या लगातार आंसू आते रहते है?	
D	क्या बच्चे की आँखें शुष्क, झुर्रीदार व धुधली दिखाई देती है या आँख में घाव है?	
E	क्या बच्चे की आँख की एक या दोनों पुतली भूरी या सफेद दिखती है?	
F	क्या बच्चे की आँखों में भेंगापन या दोनों आँखों का आकार समान नही है?	
G	क्या बच्चा विद्यालय प्रांगण/घर में चलने–फिरने में असहज महसूस करता है?	
5	**बौद्धिक दिव्यांगता (Intellectual Disabilities)**	
A	क्या बच्चा अपने दैनिक कार्य जैसे मंजन, शौच किया, नहाना–धोना, खाना, कपड़े पहनना व कंघी करना आदि नही कर पाता है?	
B	क्या बच्चा किसी विशेष कौशल को सीखने में अपनी आयु वर्ग के बच्चों की तुलना में अधिक समय लेता है?	
C	क्या बच्चा कोध/आवेश को प्रदर्शित करता है?	
D	क्या बच्चा आधा व चौथाई भाग के अन्तर को नही समझता है?	
E	क्या बच्चा अपनी आयु वर्ग के बच्चों की भांति क्रिया कलाप नही करता है?	
F	क्या बच्चे को मिर्गी के दौरे आते हैं या मुंह से लार गिरती रहती है?	
G	क्या बच्चा आँख मिलाकर सामने वाले से बातचीत नही करता है?	
H	क्या बच्चा अपने सहपाठियों की तुलना में प्रायः अंकों जैसे 365 को 563, 99 को 66 तथा 89 को 98 को उलट–पलट कर लिखता या पढ़ता है?	
I	क्या बच्चा अपने सहपाठियों की तुलना में प्रायः अक्षरों जैसे b को d तथा Was को Saw उलट–पलट कर लिखता या पढ़ता है?	
K	क्या बच्चा गणितीय कार्य करने में अत्यधिक कमजोर हैं?	
L	क्या बच्चे की सामान्य दृष्टि होने पर भी वह किताब या ब्लेक बोर्ड से ठीक ढंग से कापी नही कर पाता है?	
M	क्या बच्चा अक्षरों को बहुत पास या दूर लिखता है?	
N	क्या बच्चा पढ़ते या लिखते समय शब्दों को छोड़ता/जोड़ता है या दोहराता है?	
O	क्या बच्चे को ऐसा लगता है कि उसे जो कुछ सिखाया जाता है वह समझ लेता है, परन्तु पूछने पर वह उत्तर नही दे पाता है?	
6	**मानसिक रूगण्ता (Mental Illness)**	
A	क्या बच्चा आकामक या असामान्य व्यवहार करता है?	
B	क्या बच्चा मानसिक आघात से ग्रसित है?	
C	क्या बच्चा अप्रासंगिक/निरर्थक बातें करता है?	
D	क्या बच्चा उदास दिखता है/गुमसुम रहता है तथा परिवार के सदस्यों के साथ मेलमिलाप नही रखता है?	

टिप्पणी: उपरोक्त में से यदि किसी दिव्यांगता के अन्तर्गत दो या दो से अधिक प्रश्नों का उत्तर **हाँ** में है तो बच्चे को चिकित्साधिकारी या मुख्य चिकित्साधिकारी को रिफर करें।